

Instruction to fill the form:-

फार्म भरने का निर्देश:-

1. The information mentioned below is only for general guidance and should not be treated as legal document. It could be changed /modified from time to time by Competent Authority.
नीचे उल्लेखित जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और इसे कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर बदला/संशोधित किया जा सकता है।
2. Application for the Registration of students for the admission in Private Schools for session 2026-2027 for socially and economically weaker section.
निजी विद्यालयों में सत्र 2026-2027 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र।
3. Parents under East Singhbhum are requested to fill the form in accordance to 1km, 3km and lastly up to 6km distance respectively. Forms from other district will be treated as rejected.
पूर्वी सिंहभूम जिलातर्गत के अभिभावक/पालक पड़ोस के(कमशः 01किमी. 03किमी. अंततः 06किमी दूरी सीमा तक) के स्कूल का चयन कर आवेदन भर सकते हैं। जिनका निवास स्थल दूसरे जिला का है उनका आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. Start Date of Filling Application Online: 08th December 2025
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि: 08 दिसंबर 2025
Last Date of Filling Application Online: 31st December 2025
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025
5. In order to ensure smooth and quick filling of the application form, please keep the following ready.
आवेदन फार्म को आसानी से जल्दी भरना सुनिश्चित करने के लिए, कृपया निम्नलिखित को तैयार रखें।
 - I. A valid mobile number with Indian SIM Card. Further all the information regarding your application will be sent by SMS to the mobile number provided during registration. You are strongly advised to register your own mobile number and not that of relatives, friends, agents, cyber-cafe operators or others.
भारतीय सिम कार्ड के साथ एक वैध मोबाइल नम्बर। आवेदन से संबंधित सभी जानकारी पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपना मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराएं न कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर-कैफे संचालकों या अन्य किसी का।
 - II. A digital photograph or scanned photograph of the child seeking admission (image file of size at most 200KB).
प्रवेश चाहने वाले बच्चे की एक डिजिटल तस्वीर या स्कैन की गई तस्वीर (अधिकतम 200KB आकार की फाइल)
 - III. Details of Aadhar card of Father and mother.
पिता और माता के आधार कार्ड का विवरण।
 - IV. Once an application form has been submitted and Application Submission Code generated, the submitted application form cannot be edited.
एक बार एक आवेदन पत्र जमा कर दिया गया है और आवेदन फार्म संख्या उत्पन्न हो गया है, तो जमा किए गए आवेदन पत्र को संपादित नहीं किया जा सकता है।

V. **DOCUMENTS NEEDED /आवश्यक दस्तावेज :-**

- a) Certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register birth. This will include certificates from notified Area Council/Municipality/municipal Corporation/extract about the date of birth from records of village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel. The original certificate of date of birth should be produced before the School at the time of admission. This will be returned to the parent after verification by the School.
जन्म पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु के प्रमाण का प्रमाण पत्र। इसमें अधिसूचित क्षेत्र परिषद/नगर पालिका/नगर निगम से प्रमाणपत्र/ग्राम पंचायत, सैन्य अस्पताल के रिकार्ड से जन्म तिथि के बारे में उद्धरण और रक्षा कर्मियों के सेवा रिकार्ड शामिल होंगे। प्रवेश के समय जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र स्कूल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्कूल द्वारा सत्यापन के बाद यह माता-पिता को वापस कर दिया जाएगा।
- b) Aadhar Card of Father and Mother. Guardian Aadhar card is mandatory if Mother and Father are not alive or Child reside at any other place.
पिता और माता का आधार कार्ड। यदि माता और पिता जीवित नहीं हैं या बच्चा किसी अन्य स्थान पर रहता है तो अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य है।
- c) Income certificate must be less than 72000 and issued not earlier than 1st October 2025 by the authority.
आय प्रमाण पत्र 72000 से कम होना चाहिए और संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा 01 अक्टूबर, 2025 से पहले जारी नहीं होना चाहिए।
- d) ST/SC/OBC(NCL)/EWS Certificate(as applicable) issued by the competent authority
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस(जो लागू हो) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत।
- e) For Physically Handicapped(PH) Student/शारीरिक रूप से दिव्यांग (PH) छात्रों के लिए
Disability certificate issued by Medical Board/Civil Surgeon, Sadar hospital/medical Officer, Primary health Center for children with 40% disability.
40% दिव्यांगता बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन, सदर अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

- VI. AGE LIMIT/आयु सीमा: The age limit for LKG/Nursery is 3 years 6 months to maximum 4 years 6 months on 31st March 2026. (Applicants must have been **born between 01.10.2021 and 30.09.2022**)
एलकेजी/नर्सरी के लिए आयु सीमा 3 वर्ष 6 महीने से अधिक एवं 4 वर्ष 6 महीने से कम (31 मार्च 2026 तक) (केवल वे ही बच्चे पात्र हैं जिनका जन्म 01.10.2021 से 30.09.2022 के बीच हुआ हो)

6. Rejection of Application/आवेदन रद्द करना : reserves its right to cancel the application under any of the following circumstances:

आरटीई सेल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में आवेदन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है :-

- I. The last filled form will be considered as valid as if form is filled up multiple times by the parents or user.
अभिभावक/पालक के द्वारा आरटीई पोर्टल पर एक से अधिक बार आवेदन भरा गया होगा तो अंतिम आवेदन ही मान्य हो।
- II. If the candidate does not present to the allotted schools by the stipulated date.
यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवंटित विद्यालयों में नामांकन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं।
- III. If the candidate do not produce all the relevant documents.
यदि उम्मीदवार सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है।

7. While applying, the applicant shall have to choose three schools according to their distance from school.
आवेदन करते समय आवेदक को विद्यालय से दूरी के अनुसार तीन विद्यालयों का चयन करना होगा।
8. The date of admission as indicated in the merit list on the web page shall be final and failing which the applicant is liable to lose his candidature.
वेब पेज पर मेरिट सूची में दर्शाई गई प्रवेश की तिथि अंतिम होगी और ऐसा न करने पर आवेदक अपनी उम्मीदवारी खोने के लिए उत्तरदायी होगा।
9. The decision of District Education Department shall be final under all circumstances and is binding to the applicant.
जिला शिक्षा विभाग का निर्णय सभी परिस्थितियों में अंतिम एवं आवेदक के लिए बाध्यकारी होगा।
10. The District Education Department reserves right to modify, alter and/or include any other Terms and Conditions that may be felt necessary.
विभाग के पास आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अन्य नियम और शर्तों को संशोधित करने, बदलने या शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. Parents or user are requested to visit the portal for detailed information which will be available to the portal time to time.
अभिभावक/पालक अपने आवेदन पत्र से संबंधित अद्यतन जानकारी हेतु पोर्टल पर लगातार अवलोकन करते रहेंगे। नामांकन से संबंधित सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

For any technical assistance, kindly call 0657-2434044, or email us on rte.dsejsr@gmail.com

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए, कृपया 0657-2434044 पर कॉल करें या हमें इस पर ईमेल करें:- rte.dsejsr@gmail.com